रजिस्ट्री सं० डी०-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 1975/भाद्र 21, 1897

No. 362] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 1975/BHADRA 21, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 12th September 1975

S.O. 509(E)/18AA/IDRA/75.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies No. S.O. 482(E)/18AA/IDRA/75 dated the 8th September, 1975, namely:—

In the said Order, in the second paragraph, for the words "the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited" the words and letters "Shri M. K. Modwel" shall be substituted.

[No. 2/27/75-CUC.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1975

का० आ० 509 (अ)/18 ए ए/आई० डी० आर० ए०/75.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 482 (अ)/18 ए ए/आई० डी० आर० ए०/75 तारीख 8 सितम्बर, 1975 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आदेश में, द्वितीय पैरा में "इण्डस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड", शब्दों के स्थान पर, "श्री एम० के० मांडवेल", शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० 2/27/75-सी० यू० सी०]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975